

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 02, मंगलवार, श॥के 1947- दिसम्बर 23, 2025 Pausa 02, Tuesday, Saka 1947- December 23, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 01, 2025

संख्या एफ 10 (38) वन/1989/पार्ट/राजकाज-00265 :-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राज्य सरकार विभिन्न वन संभागों के लिए गठित तेन्दू पत्ता सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर निम्नानुसार तेन्दू पत्ता संग्रहण दर अधिसूचित करती है। जो 1-जुलाई 2025 से 30 जून, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों या राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 की धारा-4 के अधीन नियुक्त अभिकर्ताओं तथा इकाई में नियुक्त क्रेताओं द्वारा राजकीय वनों तथा भूमियों से तेन्दू पत्ता संग्रहण करने के लिए लगाए गए व्यक्तियों को प्रति मानक बोरा (50000 तेन्दू पत्ता बीडी बनाने योग्य) चुकाई जावेगी:-

क्र. स.	नाम संभाग	अधीनस्थ वन मण्डलों के नाम	निर्धारित संग्रहण दर प्रति मानक बोरा (रूपयों में)
1	संभाग कोटा	बारां एवं झालावाड़	1450/- प्रति मानक बोरा
2	संभाग उदयपुर	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर (उत्तर), उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़	1450/- प्रति मानक बोरा
3	संभाग अजमेर	भीलवाड़ा	1450/- प्रति मानक बोरा
4	संभाग जोधपुर	सिरोही एवं पाली	1450/- प्रति मानक बोरा

राज्यपाल के आदेश से,

बीजो जाँय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

16176

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।